बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप

1022. **श्री सुभाष आहूजा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के निर्वतमान कुलपति "डा० श्रीमाली" के विरुद्ध उन के कार्यालय में भ्रष्टाचार, पक्षपात पूर्ण नीति और राजनीतिक स्वार्थों के लिए सैकड़ों छात्रों को निष्कासित करने के आरोप में लगाए जाते रहे हैं तथा क्या पिछली सरकार "डा० श्रीमाली" के विरुद्ध जांच करने के लिए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की मांग की उपेक्षा करती रही है तथा क्या वर्तमान सरकार इन आरोपों की जांच करेगी ; और

(ख) क्या 28 अप्रैल, 1977 को शाम को विश्वविद्यालय के प्रांगण में छात्र नेता तथा छात्र संघ के महा मंत्री पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गोली चलाए जाने तथा उस संबंध में की गई कार्यवाही का विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर): (क) अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । जिन में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति के विरुद्ध विभिन्न अनियमितताओं, भ्रष्टाचार आदि के आरोप लगाए गए हैं । इन अभ्यावेदनों पर विश्वविद्यालय अधिनियम के उपबन्धों तथा सांविधियों के अनुसार कार्रवाई की गई थी तथा उन के संबंध में विश्वविद्यालय के विजीटर की हैसियत से राष्ट्रपति के आदेश जहां कहीं आवश्यक थे भेज दिए गए थे। जनवरी, 1977 में एक अन्य अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । जिस पर विश्वविद्यालय के उत्तर सहित विचार किया जा रहा है ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष श्री भरत सिंह ने थाना, मेलपुर, वाराणसी में 28 अप्रैल, 1977 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिस में उन्होंने यह आरोप लगाया था कि श्री भगवती सिंह तथा दो अन्य व्यक्तियों ने उन्हें यह धमकी दी थी कि यदि उन्होंने वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष डा० राम अवध सिंह के विरुद्ध कोई कार्यवाही की तो उन्हें भयानक परिणाम भुगतने होंगे और इस धमकी का उन के द्वारा विरोध करने पर उन पर फायर किया गया । यद्यपि वे बच गए बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय के एम० ए० (संस्कृत) के एक छात्र श्री अवधेश सिंह द्वारा उसी दिन एक अन्य शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी जिस में उन्होंने यह आरोप लगाया था कि वह श्री भगवती सिंह के साथ भगवानदास छात्रावास में अपने ही एक रिश्तेदार से मिलने के लिए गए थे । लौटते समय रास्ते में सर्व श्री परमहंस सिंह, सुरेश सिंह तथा कुछ अन्यों ने उन पर फायर कर दिया तथा श्री भरत सिंह अपने कमरे में से उन को चुनौती दे रहे थे । इन दोनों शिकायतों के आधार पर पुलिस द्वारा धारा 307 भा० द० वि० के अंतर्गत दोनों मामलों की तहकीकात की जा रही है । इसी बीच पुलिस ने श्री भगवती सिंह तथा श्री अवधेश सिंह को 28-4-77 को गिरफ्तार कर लिया तथा 29-4-77 को उन्हें जेल भेज दिया ।

शराब का उत्पादन तथा वितरण संघ सूची में शामिल किया जाना

1023. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अधिकांश राज्य सरकारों ने मद्यपान को अपनी